

विषय सूची

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
प्राककथन		V
विहंगावलोकन		vii-xiv
भाग—अ		
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) के कार्यकलाप		
परिचय		
सामान्य	1-2	1-2
जवाबदेही तत्त्व	3-4	2-3
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	5-6	3-4
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) में निवेश	7-9	4-5
भाग—I		
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रम		
अध्याय—I		
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप		
प्रस्तावना	1.1	7
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का गठन	1.2	7-8
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, पुर्नसंरचना एवं निजीकरण	1.3	9
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	1.4	9
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता	1.5	10-11
उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के साथ मिलान	1.6	11-12
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	1.7.1-1.7.2	12-13
अकार्यरत राज्य ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज का समापन	1.8	13
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन	1.9-1.19	13-20
उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अन्तर्गत सहायता	1.20	20-22
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं पर टिप्पणियाँ	1.21	23
अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर	1.22	23
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुगामी कार्यवाही	1.23-1.25	23-24
लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वसूली	1.26	25
अध्याय-II		
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण		
ऊर्जा विभाग		
उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड		
पारेषण लाइन के निर्माण पर निष्फल व्यय	2.1	27-28
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		
ठेकेदार को अनुचित लाभ	2.2	28-30

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
भाग-II		
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त)		
अध्याय-III		
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के कार्यकलाप		
प्रस्तावना	3.1-3.2	31-32
राज्य के पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में निवेश	3.3-3.4	32-33
राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का विनिवेश, पुनर्संरचना और निजीकरण	3.5	34
राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) को बजटीय सहायता	3.6	34-35
उत्तर प्रदेश के वित्त लेखाओं के साथ मिलान	3.7	35
राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	3.8	35-37
राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के द्वारा लेखाओं के अन्तिमीकरण नहीं किये जाने के प्रभाव	3.9	37
अकार्यरत राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का समापन	3.10	37
सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण	3.11	37-38
राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का निष्पादन	3.12-3.23	38-46
राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखाओं पर टिप्पणियाँ	3.24-3.25	46-48
अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर	3.26	48
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुगामी कार्यवाही	3.27-3.29	48-49
अध्याय-IV		
राज्य सरकार के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण		
लोक निर्माण विभाग		
उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड		
परिहार्य व्यय और राजस्व की हानि	4.1	51-52
उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड		
ब्याज का परिहार्य भुगतान	4.2	52-53
ठेकेदार को अनुचित लाभ	4.3	54-56
शहरी विकास विभाग		
उत्तर प्रदेश जल निगम		
विद्युत शुल्क का परिहार्य भुगतान	4.4	56-57
भाग-ब		
आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत विभाग एवं इकाइयाँ (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त)		
अध्याय-V		
आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत विभागों एवं इकाइयों (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) के कार्यकलाप		
प्रस्तावना	5.1	59
विभागों और प्राधिकरणों की रूपरेखा	5.2	59-60

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	5.3	60
लेखापरीक्षा पर शासन की प्रतिक्रिया	5.4	60-61
पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गयी कार्यवाही	5.5	61-62
इकाइयों के लेखाओं की लेखापरीक्षा की स्थिति	5.6	62-65
लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वसूलियाँ	5.7	65-66
अध्याय—VI		
आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत विभागों एवं इकाइयों (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण		
ऊर्जा विभाग		
सरकारी प्राप्ति का सरकारी लेखे से बाहर रखा जाना	6.1	67-68
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग		
बिना शुल्क के पूर्वव्यापी उच्चतर एफएआर की अनुमति के द्वारा विकासकर्ता को अनुचित लाभ	6.2	68-69
लखनऊ विकास प्राधिकरण		
दोषयुक्त अनुबंध प्रावधान के कारण प्रतिभूति जमा पर ब्याज का परिहार्य भुगतान	6.3	70-71
ठेकेदार को अनुचित लाभ	6.4	72-73
मेरठ विकास प्राधिकरण		
उपाध्यक्ष के लिए आवास के निर्माण पर अतिशय व्यय	6.5	73-75
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण		
विकासकर्ता को अनुचित लाभ	6.6	75-76
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार		
प्रीमियम तथा पट्टा किराया आरोपित एवं वसूल नहीं किया जाना	6.7	76-77
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग		
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण		
उच्च दर पर सफाई का अनुबंध प्रदान करने के कारण अतिरिक्त व्यय	6.8	77-78
लेखापरीक्षा प्रभाव		
कार्य की अतिरिक्त मद के निष्पादन में अतिरिक्त व्यय	6.9	78-79
परिशिष्टियाँ		परिशिष्ट संख्या
नवीनतम वर्ष के अन्तिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार इस अध्याय में शामिल ऊर्जा क्षेत्र के 11 उपक्रमों के वित्तीय परिणामों का सारांश	1.1	81-82
इस अध्याय में शामिल ऊर्जा क्षेत्र के 11 पीएसयूज में 31 मार्च 2019 तक जीओयूपी एवं अन्य द्वारा किये गये निवेश	1.2	83
लेखाओं के बकाया की अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र) में किये गए निवेश की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण जिनके लेखे बकाया हैं	1.3	84
2018-19 के दौरान लाभ/हानि अर्जित करने वाली पीएसयूज का विवरण	1.4	85

परिशिष्टियाँ	परिशिष्ट संख्या	पृष्ठ संख्या
2000–01 से 2018–19 तक राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के चार उपक्रमों में संचारित किये गये कोष को दर्शाता हुआ विवरण	1.5	86
मोबाइल अग्रिम पर ब्याज की हानि दर्शाता हुआ विवरण	2.1	87
इस अध्याय में शामिल में किये गये पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के अद्यतन वर्ष के लिये अन्तिमीकृत लेखे के अनुसार संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	3.1	88-90
राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का विवरण जो इस अध्याय में शामिल नहीं हैं	3.2	91-95
इस अध्याय में शामिल किये गये राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का 31 मार्च 2019 से सम्बंधित पूँजी एवं बकाया ऋणों की स्थिति को दर्शाती हुई विवरणी	3.3	96-98
31 मार्च 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं और राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखाओं के बीच पूँजी, ऋण एवं प्रत्याभूति के अन्तर को दर्शाती हुई विवरणी	3.4	99-102
राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) जिनके लेखे बकाया थे उनमें राज्य सरकार के निवेश की स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्र	3.5	103-104
2000–01 से 2018–19 की समयावधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में संचारित किये गये कोष को दर्शाने वाला विवरण पत्र	3.6	105-109
त्रुटिपूर्ण विद्युत बिलों एवं अधिक अनुबंधित भार के कारण कोनिया एसपीएस (अनुबंधित भार 2000 केवीए) में विद्युत शुल्क के परिहार्य भुगतान को दर्शाता विवरण	4.1	110-113
त्रुटिपूर्ण विद्युत बिलों के कारण दीनापुर एसटीपी (अनुबंधित भार 1200 केवीए) में विद्युत शुल्क का परिहार्य भुगतान को दर्शाता विवरण	4.2	114-116
लखनऊ विकास प्राधिकरण में विकासकर्ता को नगरीय विकास शुल्क (सीडीसी) के भुगतान से छूट के कारण हानि को प्रदर्शित करने वाला विवरण	6.1	117
लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कोई शुल्क लगाए बिना उच्चतर एफएआर अनुमन्य करने के कारण विकासकर्ता को अनुमन्य लाभ प्रदर्शित करने वाला विवरण	6.2	118-120
एकीकृत टाउनशिप विकासकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली भूमि के कुल अधिग्रहण शुल्क में प्रशासनिक शुल्क को शामिल नहीं करने को दर्शाने वाला विवरण	6.3	121
प्रीमियम तथा पट्टा किराया की वसूली न होने की स्थिति को दर्शाता हुआ विवरण	6.4	122
जीएनआईडीए द्वारा केन्द्रीय ब्रशों एवं वर्दियों की आधिक्य विश्लेषित लागत	6.5	123